तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-11-19	पत्रावली पेश। वकील पुकार उप० हो। वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23-12-19 को पेश हो।	
23/12/19	पत्रावली पेश। आवाज लगाई गई। कोई उप० नहीं है। माननीय न्यायालय के निर्देश के समय भी कोई उप० नहीं हुआ। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः दावा वादिया अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर दाखिल रेकर्ड भण्डार हो। 23/12/19 (चिमनलाल मीणा)	

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी :-

वाद क्रमांक	तारीख रजूआ	तारीख फैसला
89/2011	13-10-2011	21-01-2015

पीठासीन अधिकारी :- S.D. मीणा [R.A.S.]

-: उनवान :-

(1) भंवरीबाई पत्नी स्व० किशनलाल जाति मेहर निवासी सुकेत तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

(2) प्रहलाद पुत्र किशनलाल जाति मेहर नि० सुकेत तह० रामगंज मण्डी जिला कोटा

-: बनाम :- -वादीगण-

(1) बालमुकन्द पुत्र किशनलाल जाति मेहर नि० सुकेत तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा
(2) श्याराम पुत्र किशनलाल जाति मेहर नि० सुकेत तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा
(3) शकुन्तलाबाई पुत्री किशनलाल जाति मेहर नि० सुकेत तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा
(4) सावित्रीबाई पुत्री किशनलाल जाति मेहर नि० सुकेत तह० रामगंजमण्डी जिला कोटा
(5) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज०

वाद अन्तर्गत धारा 88-89-53-188 R.T. Act.

उपस्थित अधिवक्ता
(1) श्रीमती अंजली भार्गव :- वादीगण की ओर से

-: निर्णय :-

वादीगण द्वारा एक वाद जरिये विद्वान अधिवक्ता इस कथनों के साथ पेश किया कि वादीगण के पिता व पति के नाम पर ग्राम सुकेत में खसरा नम्बर 1002 की 2.05 हेक्टर, तथा खाता नं० 69 में खसरा नम्बर 996 की 0.85 हे० 997 की 0.65 हेक्टर, 998 की 0.44 हेक्टर कुल किता 4 रकबा 4.01 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 1 का कोई हक/अधिकार नही है। प्रति० के पिता का देहावसान दि० 25-02-06 को हो गया है। वादी नं. 2 तथा प्रति० 1 ता 4 आपस में सगे भाई बहिन है। वादी नं० 2 वादी नं० 1 की मां है। वादीगण के पिता व पति द्वारा वादी नं. 1 को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया था। प्रति० नं० 3 व 4 वादी नं. 2 की सगी बहिनें है, जिनका विवाह कर दिया गया है तथा वे ससुराल में ही निवास कर रही है। उनका वादग्रस्त आराजी पर भौतिक कब्जा नहीं है। उक्त भूमि पर मात्र वादी नं० 2 अपने पिता के समय से ही काबिज

काश्त चला आ रहा है। वादी के पिता द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत दिनांक 19-12-05 को की गई थी। उक्त वसीयत को छिपा कर प्रतिवादी नं० 1 द्वारा गुपचुप तरीके से फौती इन्तकाल तस्दीक करवा लिया, क्योंकि प्रतिवादी नं० 1 को पता चल गया था, कि उसके पिता द्वारा उसको वादग्रस्त में वर्णित भूमि में से बेदखल कर दिया है। इसका फायदा उठा कर पटवारी से मिलकर उसने फौती इन्तकाल खुलवा लिया तथा इसकी जानकारी वादीगण व प्रति० नं० 2 लगायत 4 को नहीं होने दी जबकि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वसीयत अनुसार प्रति० नं० 1 को वाद-ग्रस्त आराजी पर कोई हक व अधिकार खातेदारी काश्तकारी के उत्पन्न नहीं होते हैं। इस फौती इन्तकाल को नल एण्ड वोईड घोषित नहीं किया गया तो वादीगण न्याय पाने से महरूम हो जावेंगे तथा प्रतिवादी नं० 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द-बुर्द कर देगा। इस कारण वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे खातेदार कृषक घोषित किये जाने की डिक्री प्राप्त करें। प्रति० नं० 1 लगायत 4 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें, कि वह वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में शान्तिपूर्वक काश्त करने दें, जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें। इस प्रकार अन्य कथन कर वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि

(1) वादी० का वाद विरुद्ध प्रति० नं० 1 इस प्रकार डिक्री किया जावे, कि वादग्रस्त भूमि वसीयत अनुसार वादीगण को प्राप्त होवे। तथा फौती इन्तकाल को निष्प्रभावी घोषित किया जावे। वादीगण को वादग्रस्त भूमि का ½ भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(2) वादग्रस्त भूमि का वादी एक व 2 में हिस्सा अनुसार बँटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर दखल दिया जावे। लगान राज भी अलग-अलग कायम किया जावे।

(3) प्रति० नं० एक के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की जावे, कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रति० नं० 1 शान्ति से काश्त करने दे। किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें।

(4) अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, वह प्रति० नं० 1 से वादीगण को दिलाई जावे।

-क्रमशः-

वादपत्र वादीगण पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, लिहाजा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 5 द्वारा बावजूद समुचित समय अपना जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रतिo नं. 5 बन्द किया गया। एक तरफा साक्ष्यवादी ली गई दौराने साक्ष्य वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत की।

(1) शपथ पत्र भंवरीबाई प्रदर्श P.W-1
(2) शपथ पत्र प्रहलाद प्रदर्श P.W-2
(3) शपथ पत्र बाबू खाँ प्रदर्श P.W-3
(4) छायाप्रति विक्रयपत्र तादादी 7000/- ग्राम सुकेत खo नं. 682/966 (कबा 15) द्वारा इन्दर s/o मुल्लन कोली बहक प्रतिo नं. 1 व 2 दिनांक 24.5.77 उप.पंजीयक रामगंज मंडी प्रदर्श 1A.
(5) छाया प्रति वसीयतनामा स्टाम्प तादादी 50 द्वारा किशनलाल पुत्र मांगीलाल मोहरी दिनांक 19-12-2005 प्रदर्श 2A
(6) नकल जमाबन्दी ग्राम सुकेत सम्वत 2004-24 खाता नं. 69 प्रदर्श-3
(7) नकल जमाबन्दी ग्राम सुकेत संवत 2004-24 खाता नं. 67 प्रदर्श-4

साक्ष्योपरान्त लायक वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस लायक वकील वादीगण का कथन है कि वादपत्र ही उनकी बहस है, अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जावे।

बाद साक्ष्य पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वांछित अनुतोष, प्रस्तुत साक्ष्यादि, का प्रकरण के सम्बन्ध मे सम्यक अनुशीलन चिंतन मनन किया गया।

वादीगण द्वारा प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4 में वर्णित वादगत आराजी पर विरासतन दायर किये गये नामान्तकरण की निरस्ती कर हिस्सा ½ के खातेदार घोषित होने तथा उक्त भूमि का वादीगण में मध्य हिस्सा अनुसार विभाजन के उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 (एक) के विरुद्ध स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहा है। हस्ब प्रदर्श-1A से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के द्वारा इन्दर s/o मुल्लन जाति कोली से ग्राम सुकेत की आराजी खसरा नम्बर 682/966 (कबा 15)

बीघा को 6000) अस्सी साठ हजार रू० में क्रय किया गया है। उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादीगण के पिता / पति के द्वारा खरीद कर दिया हो ऐसा प्रमाण नहीं है। अर्थात उक्त भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति प्रमाणित नहीं है। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर कौन से पैमूर किये गये तथा वर्तमान अभिलेख में उक्त भूमि किन-खातेदारान् के नाम अभिलेख में दर्ज है, ऐसा भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 से तथा दाखा प्रति मृत्यु प्रमाण-पत्र किशनलाल पुत्र मांगीलाल, जारी द्वारा ग्राम पंचायत सुकेत रजि० नम्बर 11 दिनांक 9.3.06 से प्रकट होता है, कि ग्राम सुकेत के खसरा नम्बर हाल 996, 997 व 998 किता 3 रकबा 1.94 है० भूमि किशनलाल, श्यामलाल पि० मांग्या व शंकरी धर्मपत्नी स्व० श्री मांग्या के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर से जरिये नामा० नं० 1279 दि० 5.6.02 शंकरी का नाम विलोपित किया गया है। तथा हक नामा० 1388 दि० 30.4.05 से जरिये हक त्याग श्यामलाल का नाम किशनलाल के पक्ष में हटाया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि पर एकमात्र किशनलाल का नाम दर्ज खाता रह जाना भी प्रमाणित है। किशनलाल की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि को जरिये नामा० नं० 1675 दि० 16.11.10 से वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के नाम दर्ज की गई है। ग्राम सुकेत की भूमि ख० नं० 1002 रकबा 2.05 हेक्टर को भी इसी प्रकार जरिये नामा० नं. 1694 दिनांक 16.11.10 से किशनलाल की बजाय विरासत से वादीगण तथा प्रति० नम्बर 1 से 4 के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमियाँ किशनलाल के बजाय उसके विधिक वारिसान के नाम ही दर्ज की गई है। वादीगण इस तथ्य को पूर्णतया अंगीकार करते है, कि प्रतिवादी नं० 1 से 4 उनके भाई / पुत्र तथा बहिन / पुत्रियां है। अर्थात मृतक किशनलाल के वादी नं. 2 तथा प्रति० नम्बर 1 व 2 पुत्र, प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 पुत्रियां तथा वादी नं. 1 पत्नी है। मृतक किशनलाल के

—क्रमशः—

इसके अलावा कोई वारिस हो, या प्रति० 1 से 4 किशनलाल के वैध उत्तराधिकारी न हो, इस प्रकार वादीगण न तो कथन करते हैं और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मृतक किशनलाल का जाति से मेहर (S.C) होना तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत गवर्न होना प्रकट है। मृतक किशनलाल के वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 तथा H.S. Act 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमि के क्रम में दि० 16.11.2010 को प्रमाणित नामान्तरकरणों में प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

प्रकरण में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण का कथन है, कि उनके पिता/पति के द्वारा की गई वसीयत दिनांक 19.12.05 के अनुसार भूमियां उनके नाम की जावें। इस क्रम में वसीयत प्रदर्श-2A का अवलोकन किया गया। वसीयत का वादी नम्बर 1 की मृत्यु उपरान्त ही असर होना अंकित है, जबकि वादी नम्बर 1 अर्थात वसीयतकर्ता की पत्नी भंवरीबाई वर्तमान में मौजूद है। वसीयत में मकान वगैरह के साथ-साथ खसरा नम्बर 679 रकबा 12 बीघा को वादी नं० 2 तथा उसकी पत्नी अर्थात वादी नं० 2 की पत्नी श्रीमती रामकन्याबाई को देने का जिक्र है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 681/902 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा को वादी नं. 2, उसकी पत्नी श्रीमती रामकन्याबाई व प्रतिवादी नम्बर 2 का बराबर-बराबर हक होना अंकित है। उक्त दोनों खसरा नम्बर के हाल नम्बर क्या है, तथा उक्त हाल नम्बर किस खातेदार तथा किन खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है, कर्द मिलान के अभाव में तय किया जाना संभव नहीं है। साथ-ही साथ वादी नम्बर 2 की पत्नी जिसका नाम वसीयत दि० 19.12.05 में अंकित है, को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण उक्त वर्णित वसीयत के क्रम में वसीयत में वर्णित संपत्ति की हितबद्ध पक्षकार की राय लिया जाना भी तय नहीं हो सकता।

-क्रमशः-

प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत में अंकित भूमि को यदि वादग्रस्त भूमि ही होना मान भी लिया जावे तो वादीगण द्वारा उक्त भूमि को मृतक किशनलाल की स्वार्जित संपत्ति प्रमाणित नहीं किया है। वसीयत चूँकि अनरजिस्टर्ड है, और गवाहान के शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किये गये है। परन्तु वसीयत के आधार पर वादीगण को उनके द्वारा वाँछित अनुसार वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि,

(1) वसीयत वर्णित भूमि ही वादग्रस्त भूमि हो। ऐसा प्रमाण नहीं है।

(2) वसीयत वर्णित भूमि वसीयतकर्ता की स्वार्जित संपत्ति प्रमाणित नहीं।

(3) मृतक किशनलाल की भूमि पर दिनांक 16.11.10 को नामान्तकरण पारित आदेश विधि-विरुद्ध या अधिकारिता से परे जाकर या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हो प्रमाणित नहीं है।

(4) वादग्रस्त भूमि पर स प्रति० नं० 1, 3, 4, के खातेदारी अधिकारों का अवसान प्रमाणित नहीं है।

प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में वसीयत की वैधता या ग्राह्यता पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं नहीं पाता है। परन्तु उक्त बिन्दुओं पर मनन करने [खासकर बिन्दु सं. 1 (एक)] के उपरान्त यह पाया जाता है, कि वादीगण यथा वाँछित "<u>घोषणा खातेदारी</u>" के हकदार प्रमाणित नहीं है।

हस्व प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 वादीगण तथा प्रतिवादी नं० 1 से 4 वादगत भूमि के अभिलिखित सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। अभिलिखित सहखातेदार की प्रस्थिति होने के कारण वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुतोष के अधिकारी प्रमाणित है, परन्तु बिना विधिक विभाजन प्रति० के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा के हकदार वादगत भूमि के संबंध में नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक अनुशीलन मनन के उपरान्त हम यह पाते है, कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के क्रम में R.T. Act 1955 की धारा 53 के अनुतोष के हकदार

-क्रमश:-

तो है। परन्तु धारा 88-89 के अनुतोष के हकदार नहीं है साथ ही विधिक विभाजन के उपरान्त धारा 188 के अनुतोष के भी हकदार है।

अतः दावा वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम सुकेत के ख0 नं0 1002 रकबा 2.05 हैक्टर 996 रकबा 0.85 हैक्टर, 997 रकबा 0.65 हैक्टर, 998 रकबा 0.44 हे0 का वादीगण तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर होल्डिंग विभाजन किया जाता है। प्रतिवादी नं0 5 को निर्देश दिये जाते हैं, कि वे राज0 काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पक्षकारान् के मध्य उक्त वर्णित भूमि के विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तदनुसार प्रायमरी डिक्री मुर्तिब हो। प्रति0 5 को पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-1-2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[S.D. MEENA]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंज मण्डी

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
सत्यमेव जयते

Yudl/Civil
Part IV-10

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंज मण्डी

व इजलास— एस. डी. मीणा [आर. ए. एस.]

भंवरीबाई —बनाम— बालमुकन्द

दावा ब.बत— 53-88-89-188 R.T.A.

मुकद्दमा नं.— 89 —सन्— 2011

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— एस. डी. मीणा [आर. ए. एस.]

बहाजरी— SMT. अंजली भार्गव एडवो. —मिनजानिब मुद्दई व— x

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम सुकेत के ख0 नं0 1002 रकबा 2.05 हे0, 996 रकबा 0.85 हे0, 997 रकबा 0.65 हे0, 998 रकबा 0.44 हे0 का वादीगण तथा प्रति0 नं. 1 लगायत पक्ष के मध्य मीट्स एण्ड बाउंड्स के आधार पर होल्डिंग विभाजन किया जाता है। प्रति0 नं. 5 को निर्देश दिये जाते हैं कि राज0 काश्तकारी अधि0 नियम 18 व 21 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पक्ष0 के मध्य उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

खर्चा इस मुकद्दमे का ... —x— को अदा करे।

से तारीख वसूलयाबी तक—

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 12 —माह— 01 —2015

को जारी की गई।

दस्तखत— [signature]

ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वजह सबूत	..		
महनताना वकील	..		
खर्चा गवाहान	..		
फीस कमिश्नर	.		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
मुतफर्रिक	..		
मीजान..		—	—

मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प अर्जी	..		
महनताना वकील पर	..		
खर्चा गवाहान	..		
फीस कमिश्नर	..		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
मुतफर्रिक	..		
मीजान..		—	—

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्ष0 अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो.–40–2004–1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी